फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

जयपुर पीगरिज प्रा0लि0 बनाम सरकार

पत्र संख्या : 51/2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
07.01.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 09.01.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ	
09.01.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की गैर मुमकिन आबादी भूमि खसरा नम्बर 407/353 रकबा 0.2500है0 जिसके साबिक खसरा नम्बर 193मिन ग्राम घाटाजलधारी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है। उक्त खसरा नम्बर 407/353 जिसके मूल खसरा नम्बर 353 व हाल सेटलमेंट के बाद नक्शा छोटा करते हुये लगवा खसरा नम्बर 263 रकबा 5.59है0 जिसके साबिक खसरा नम्बर 145मिन है का नक्शा बडा करके कायम किया गया है। तथा खसरा नम्बर 353 के उत्तरी पश्चिमी कोने से खसरा नम्बर 263 का बढाते हुये नक्शा कायम किया गया है। अतः खसरा नम्बर 263 रकबा 5.59है0 के नक्शे को दुरूस्त कर पूर्वानुसार दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान करें। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में जवाब में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम घाटाजलधारी में खसरा नम्बर 407/353 रकबा 0.25है0 किस्म गै0मु0आबादी ग्राम पंचायत बासना हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए के नाम है। उक्त खसरा नम्बर 407/353 जिसके मूल खसरा नम्बर 353 किस्म चरागाह में से 0.25है0 गै0मु0आबादी भूमि आंवटन किया गया था। आवंटन होने के बाद हाल सेटलमेंट नक्शा में खसरा नम्बर 407/353 रकबा 0.25है0 की लाल स्याही से तरगीम हो चुकी है। वही तरगीम वर्तमान रेग्रीगेशन नक्शा ऑनलाईन में भी 0.25है0 बैठता है। जो दोनों नक्शों में सही है। रकबा कम नही है। जो दुरूस्त योग्य संभव नही है। अतः वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनने व पत्रावली में उपलब्ध प्रा0 पत्र, पैरोकार सरकार के जवाब/रिपोर्ट एवं अन्य का अवलोकन करने पर पाया कि मुताबिक रिपोर्ट दोनों नक्शों में रकबा सही है तथा वादग्रस्त	

गै0मु0 आबादी है। जिसका स्वामित्व ग्राम, पंचायत का है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित नही समझते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज सरे इजलास सुना गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफतर हों।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़